

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 596

=====

बेसिल माइकल क्वाड्रोस, पिता- स्व. जे.एम. क्वाड्रोस, निवासी करणगढ़, थाना- नाथ नगर,
डाकघर- चंपा नगर, जिला- भागलपुर

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कलेक्टर, भागलपुर के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन विभाग (संक्षेप में आर.ई.ओ. विभाग)। उनका संबंधित कार्यालय मायागंज, सूरज मोदी पथ, थाना-बरारी, जिला- भागलपुर।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन विभाग (आर.ई.ओ. विभाग)। उनका संबंधित कार्यालय मायागंज, सूरज मोदी पथ, थाना-बरारी, जिला- भागलपुर।
4. जेम्स चार्ल्स क्वार्डोस पिता जेम्स मेरिन क्वार्डोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना- शाहकुंड (वर्तमान में सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।
5. जूलियन क्वाड्रोस पिता स्वर्गीय जेम्स मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना- शाहकुंड (अब सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।
6. आशा नशीर पिता स्वर्गीय जेम्स मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना- शाहकुंड (वर्तमान में सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।
7. अल्लाउ क्वाड्रोस पिता स्वर्गीय जेम्स मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना शाहकुंड (अब सजौर) जिला भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।
8. पल्लिम क्वाड्रोस पिता स्वर्गीय मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना शाहकुंड (वर्तमान में सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।

9. एशली क्वाड्रोस पिता स्वर्गीय जेम्स मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना शाहकुंड (वर्तमान में सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर ।
10. क्रिस्टोहर क्वाड्रोस पिता स्वर्गीय जेम्स मेरिन क्वाड्रोस उर्फ पॉल क्वाड्रोस, निवासी दरियापुर, डाकघर- दरियापुर, थाना शाहकुंड (वर्तमान में सजौर) जिला- भागलपुर, वर्तमान में फोर्ट हाउस, कर्णगढ़, डाकघर- चंपानगर, थाना- नाथनगर, जिला- भागलपुर।

.....प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता
श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता
श्री शशांक कश्यप, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री संजय प्रसाद, एसी टू एएजी 4

=====

भारतीय संविधान---अनुच्छेद 227---सिविल प्रक्रिया संहिता---धारा 96, 107; आदेश 41 नियम 3 ए(2), 11, 13---भारतीय परिसीमा अधिनियम---धारा 5---समय बाधित अपील की स्वीकृति---विद्वान जिला न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा स्वामित्व अपील की स्वीकृति को चुनौती देने के लिए याचिका---याचिकाकर्ता की ओर से तर्क कि अपील निश्चित रूप से परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है क्योंकि इसे 11 वर्षों से अधिक समय के बाद दायर किया गया है और विद्वान जिला न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वे पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते और उसके बाद ही परिसीमा के मुद्दे पर विचार करते और अपील में गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाते---प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया कि ऐसा कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं है जो अपीलीय न्यायालय को विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन के साथ अपील की सुनवाई करने और निर्णय देने से रोकता हो।

निर्णय: यदि अपील समय-सीमा के बाद दायर की गई है, तो प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है--- प्रतिवादी को नोटिस जारी करना प्रतिवादी को समय-सीमा के मुद्दे पर प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देने के लिए है, क्योंकि इससे उसे एक निहित अधिकार प्राप्त होता है--- यह मात्र औपचारिकता नहीं है और संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए में केवल यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए--- केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रतिवादी को

प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रावधान निरर्थक होगा--- अपील न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विलंब के लिए क्षमा के आवेदन पर पहले विचार करे, क्योंकि यह अपील की सुनवाई के लिए एक पूर्व शर्त है--- विद्वान प्रथम अपील न्यायालय को अपील के अंतिम निर्णय तक समय-सीमा के मुद्दे को लंबित रखते हुए मामले में अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी--- विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है--- विद्वान प्रथम अपील न्यायालय को पहले समय-सीमा के मुद्दे पर निर्णय करने का निर्देश दिया गया और मामले में आगे कार्यवाही से पहले अपील की अनुरक्ष्यता पर निर्णय करने का निर्देश दिया गया। (पैरा 4,6,8,9,12)

(2000) 7 एससीसी 372पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार झा

सीएवी निर्णय

तिथि: 26-07-2024

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 96/2017 में पारित दिनांक 06.09.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने अपील स्वीकार कर ली है।

2. संक्षेप में कहा जाए तो वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 4 से 10 के साथ मिलकर निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए शीर्षक सूट संख्या 337/2003 दायर किया:-

“(क) यह माना और घोषित किया जाता है कि बिहार सरकार (प्रतिवादी संख्या 1) को अपने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 विंग द्वारा वादी को अधिग्रहण की किसी अधिसूचना और मुआवजे के भुगतान के बिना मुकदमे की भूमि के माध्यम से ग्राम दरियापुर से ग्राम-हरनाथ-वाया-ग्राम चंद्रमा तक एक गांव लिंक रोड का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है।

(ख) प्रतिवादियों को मिट्टी भरने और/या वाद की भूमि के ऊपर से गांव के संपर्क मार्ग का निर्माण करने से रोकने के लिए वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री पारित की

जाए और यदि किसी अन्य कारण से प्रतिवादी वाद के लंबित रहने के दौरान गांव के संपर्क मार्ग का निर्माण और पूरा करने के अपने मिशन में सफल हो जाते हैं तो उसमें भी कब्जे की वसूली के लिए एक डिक्री पारित की जाए, जिसके तहत प्रतिवादियों को वाद की भूमि को उसकी मूल स्थिति/स्थिति में लाने का निर्देश दिया जाए, जैसी वह वाद शुरू होने से पहले थी।

(ग) मुकदमे की लागत वादी को दी जाए।

(घ) कोई अन्य राहत या राहतें। "

प्रतिवादी प्रथम समूह विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी थे और उन्होंने उपस्थित होकर मुकदमे का विरोध करते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया। मामला आगे बढ़ा और मुद्दों का निपटारा किया गया, साक्ष्य दर्ज किए गए और पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान उप-न्यायाधीश-7 वें, भागलपुर ने क्रमशः 06.03.2006 और 23.03.2006 के अपने निर्णय और डिक्री के माध्यम से मुकदमे को चुनौती देने का फैसला सुनाया। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2006 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/प्रतिवादीगण प्रथम ने विद्वान जिला न्यायाधीश, भागलपुर के न्यायालय में शीर्षक अपील संख्या 69/2006 दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा याचिकाकर्ता एवं प्रतिवादीगण द्वितीय को नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने उपस्थित होकर अपील का विरोध किया। चूंकि प्रतिवादियों ने अपील में पक्ष छोड़ दिया था, इसलिए उचित पक्ष के अभाव में दिनांक 11.01.2015 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद, प्रतिवादियों/प्रतिवादियों ने दिनांक 06.03.2006 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध शीर्षक अपील संख्या 96/2017 के तहत एक नई अपील दायर की, साथ ही अपील दायर करने में देरी के लिए माफी के लिए एक अलग आवेदन भी दायर किया। दिनांक 06.09.2018 को विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपील स्वीकार कर ली। शीर्षक अपील संख्या 96/2017 में पारित दिनांक 06.09.2018 के आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 06.09.2018 का आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है क्योंकि यह कानून के प्रावधानों पर विचार किए बिना पारित किया गया एक अवैध आदेश है। चूंकि कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि अपील सीमा अवधि के कानून द्वारा वर्जित है तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह पहले सीमा अवधि पर सुनवाई करे, वह भी वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही, तभी न्यायालय गुण-दोष के आधार पर अपील पर आगे बढ़ सकता है। वर्तमान मामले में अपील निश्चित रूप से सीमा अवधि के कानून द्वारा वर्जित थी क्योंकि इसे 11 वर्ष से अधिक समय के बाद दायर किया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश

का कर्तव्य था कि वे पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और उसके बाद ही सीमा अवधि के मुद्दे पर विचार करें और अपील में गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएं। लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और सीमा अवधि के कानून के तहत अपील वर्जित होने के बावजूद अपील स्वीकार कर ली और गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीमा अवधि के मुद्दे पर अंतिम निर्णय के समय विचार किया जाएगा और याचिकाकर्ता/प्रतिवादी को दूसरे सेट का नोटिस जारी किया। यह आदेश पूर्णतः विपरीत है क्योंकि यह विधि के साथ-साथ उसी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों के भी विरुद्ध है, क्योंकि अपील दायर किए जाने के पश्चात दिनांक 04.09.2017 के आदेश के अनुसार विद्वान जिला न्यायाधीश ने अपील दायर करने में विलंब के लिए क्षमा आवेदन पर ध्यान देते हुए पाया कि विलंब के लिए क्षमा हेतु दायर याचिका पर दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक प्रतीत होता है तथा नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

4. इसके बाद, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की दूसरी पीठ की उपस्थिति का इंतजार किए बिना, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और इस प्रकार एक अवैध आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 41 नियम 3 ए का हवाला दिया, जो सीमा अवधि समाप्त होने के बाद अपील प्रस्तुत किए जाने पर प्रक्रिया निर्धारित करता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए (2) में यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय प्रतिवादी को नोटिस जारी किए बिना आवेदन को खारिज करने का कोई कारण नहीं देखता है, तो प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा और मामले पर न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही वह संहिता के आदेश 41 नियम 11 या नियम 13 के तहत अपील पर आगे बढ़ेगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह प्रावधान अनिवार्य है, जैसा कि शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है और विलंब के लिए माफी के आवेदन के साथ अपील पर संहिता के आदेश 41 नियम 11 के तहत तब तक सुनवाई नहीं की जा सकती, जब तक विलंब के लिए माफी के आवेदन पर पहले सुनवाई न हो जाए और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीमा के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय न ले लिया जाए और केवल तभी जब न्यायालय विलंब को माफ करने का निर्णय ले, अपील को संहिता के आदेश 41 नियम 11 के तहत स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यदि विलंब की माफी के लिए आवेदन संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए के तहत खारिज कर दिया जाता है, तो परिणामस्वरूप भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब की माफी के लिए आवेदन की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप अपील भी खारिज हो जाएगी। इस पहलू पर, विद्वान वकील ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के *शैतानमल खत्री बनाम मिल्कू और अन्य* के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जो *एआईआर 2014*

छ 143 में रिपोर्ट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के *रमेश एवं अन्य बनाम लक्ष्मी बाई* के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट *एआईआर 2021 एमपी 56* में दी गई थी, जिसमें लगभग इसी तरह से विद्वान जिला न्यायाधीश ने निर्णय दिया था कि क्षमा के लिए आवेदन पर प्रथम अपील के साथ ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष सक्षम नहीं है, क्योंकि वह समय के भीतर दायर नहीं की गई थी, प्रावधानों ने अपीलीय न्यायालय पर अपील पर निर्णय लेने पर रोक लगा दी है, जब तक कि विलंब के क्षमा के लिए आवेदन पर अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय नहीं हो जाता। विद्वान अधिवक्ता ने *गगनदीप प्रतिष्ठान प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मैकेनो एवं अन्य* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसकी *रिपोर्ट (2002) 1 एससीसी 475* में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील दायर करने में देरी के प्रश्न के साथ-साथ रखरखाव के संबंध में आपतियों पर निर्णय लिए बिना रिसीवर नियुक्त करने के अंतरिम आदेश देने की निंदा की थी।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपील दायर करते समय प्रतिवादियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और झूठे दावे किए। प्रतिवादियों ने शीर्षक अपील संख्या 69/2006 की बहाली के लिए कदम नहीं उठाए, जिसे उन्होंने शीर्षक सूट संख्या 337/2003 के फैसले और डिक्री के खिलाफ पहले दायर किया था। पहले दायर शीर्षक अपील को बहाल करवाने के बजाय प्रतिवादियों ने एक और शीर्षक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादियों को शीर्षक सूट संख्या 337/2003 में पारित निर्णय और डिक्री के बारे में पहली बार जून, 2017 में पता चला, जब पार्टियों ने पहली बार निर्णय और डिक्री की फोटोस्टेट कॉपी के साथ अतिरिक्त कलेक्टर, भागलपुर के समक्ष याचिका दायर की। जाहिर है, यह पूरी तरह से गलत दावा था क्योंकि शीर्षक अपील संख्या 69/2006 को 11.01.2015 को खारिज कर दिया गया था और इस तथ्य को जानबूझकर सीमा याचिका में दबा दिया गया था, इस प्रकार, प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं ने अदालत के साथ धोखाधड़ी की और इसे गुमराह करने की कोशिश की और इस तरह खुद को सजा के लिए उत्तरदायी बना दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि परिसीमा याचिका में विलम्ब की क्षमा के लिए आधार यह लिया गया है कि सरकारी अधिवक्ता, भागलपुर, जिन्होंने प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं/प्रतिवादी प्रथम सेट की ओर से मामला लड़ा था, ने अपीलकर्ताओं को शीर्षक सूट में पारित निर्णय और डिक्री के बारे में सूचित नहीं किया था। लेकिन यह कथन इस तथ्य के विपरीत है कि उन्होंने प्रतिवादियों ने शीर्षक अपील संख्या 69/2006 दायर की है। इसके अलावा गलत कथन यह किया गया कि एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को अलग करने के लिए अपील दायर करने के लिए बाद में जारी किया गया था, इस तथ्य के

विपरीत कि विद्वान ट्रायल कोर्ट का डिक्री विवाद पर पारित किया गया था। संपूर्ण परिसीमा याचिका में प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों प्रथम समूह ने न तो यह बताया है कि उन्हें शीर्षक सूट संख्या 337/2003 में पारित निर्णय और डिक्री के बारे में कब पता चला और न ही उन्होंने भागलपुर के अपर समाहर्ता के समक्ष दायर केस संख्या बताई है जिसमें उक्त निर्णय और डिक्री दायर की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सरकारी मशीनरी की संरचना को देखते हुए, जहां तक विलम्ब की माफी का प्रश्न है, सरकार को कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन जब मामला विवादित था और वर्ष 2006 में पहले अपील दायर की गई थी, तो ज्ञान की कमी का कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरह की परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक रूप से स्वीकृत मापदंडों की अनदेखी करते हुए अपील दायर करने में चार साल की देरी को माफ करने पर नाराजगी जताई और **ओरिएंटल एरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम और अन्य** के मामले में चार साल की देरी को माफ करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया, जिसे **एआईआर 2010 एससी (सप) 697** में रिपोर्ट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि **मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में, जिसकी रिपोर्ट **एआईआर 2012 एससी 1506** में दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि देरी के लिए माफी का प्रावधान एक अपवाद है और सरकारी विभाग को इसका उपयोग प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं करना चाहिए। आगे यह भी माना गया है कि कानून सभी को समान प्रकाश में रखता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बाध्य करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 427 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए अपील को खारिज कर दिया और कहा कि आधिकारिक प्रक्रिया के हर चरण में देरी पहले से ही दिख रही है, जिससे पता चलता है कि संबंधित व्यक्तियों ने मामले में तत्परता नहीं दिखाई है, हालांकि उन्हें अपील दायर करने की समय सीमा का ज्ञान था और विभाग द्वारा कोई ठोस और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, विद्वान वकील ने दलील दी कि आरोपित आदेश टिकने योग्य नहीं है तथा उसे रद्द किया जाना चाहिए।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी प्रथम समूह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विवादित आदेश कानूनी है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है जो अपीलीय न्यायालय को विलंब की माफी के लिए आवेदन के साथ अपील की सुनवाई और निर्णय करने से रोकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि पहले दायर की गई अपील को

चूक के कारण खारिज कर दिया गया था तो कानून नई अपील दायर करने पर रोक नहीं लगाता है और उन्होंने सूरजदेव नारायण सिंह एवं अन्य बनाम प्रताप राय एवं अन्य के निर्णय पर भरोसा किया, जो एआईआर 1923 पटना 514 में रिपोर्ट किया गया था, यह जोर देने के लिए कि शीर्षक अपील संख्या 96/2017 अनुरक्षणीय है और पिछली अपील को खारिज करना रिस ज्यूडिकाटा के रूप में कार्य नहीं करेगा। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के कार्यालय को राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा पहले से दायर अपील को खारिज किए जाने के बारे में कभी भी अवगत नहीं कराया गया और इस तरह उत्तर देने वाले प्रतिवादी लंबे समय तक अंधेरे में रहे। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में कोई कमी या अवैधता नहीं है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

7. मैंने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गहन विचार किया है। संहिता की धारा 96 मूल डिक्री से अपील का प्रावधान करती है और प्रावधान इस प्रकार है:-

“96. मूल डिक्री से अपील- (1) इस संहिता के मूल भाग में या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री से अपील ऐसे न्यायालय के निर्णयों से अपील सुनने के लिए प्राधिकृत न्यायालय में होगी।

(2) एकपक्षीय रूप से पारित मूल डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

(3) न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित डिक्री के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

1[(4) लघु वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय प्रकृति के किसी वाद में डिक्री के विरुद्ध कोई अपील विधि के प्रश्न पर ही की जाएगी, जब मूल वाद की विषय-वस्तु की राशि या मूल्य 2 [दस हजार रुपए] से अधिक न हो।]”

तत्पश्चात्, संहिता की धारा 107 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“107. अपील न्यायालय की शक्तियाँ-(1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की जा सकती हैं, अपील न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-

- (क) किसी मामले का अंतिम रूप से निर्धारण करना;
- (ख) किसी मामले को वापस भेजना;
- (ग) मुद्दों को तैयार करना और उन्हें परीक्षण के लिए संदर्भित करना;
- (घ) अतिरिक्त साक्ष्य लेना या ऐसे साक्ष्य को लेने की मांग करना।

(2) जैसा कि पूर्वोक्त है, अपील न्यायालय के पास वही शक्तियाँ होंगी और वह यथासंभव वही कर्तव्य निभाएगा जो इस संहिता द्वारा मूल अधिकारिता वाले न्यायालयों को उसमें संस्थित वादों के संबंध में प्रदान किए गए हैं और उन पर अधिरोपित किए गए हैं।

अब संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए के तहत सीमा की शर्तें लगाई गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

“1[3 ए. विलम्ब क्षमा के लिए आवेदन.-

(1) जब कोई अपील निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जाती है, तो उसके साथ शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन संलग्न किया जाएगा, जिसमें वे तथ्य बताए जाएंगे, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है, ताकि न्यायालय को यह संतुष्टि हो सके कि ऐसी अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(2) यदि न्यायालय को प्रतिवादी को नोटिस जारी किए बिना आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, तो प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा और नियम 11 या नियम 13 के तहत अपील पर विचार करने से पहले न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया गया है, वहां न्यायालय उस डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देगा जिसके विरुद्ध अपील दायर करने का प्रस्ताव है, जब तक कि न्यायालय नियम 11 के अधीन सुनवाई के पश्चात अपील पर सुनवाई करने का निर्णय नहीं ले लेता।

8. उपर्युक्त प्रावधानों के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट होता है कि संहिता की धारा 96 के अंतर्गत अपील की सुनवाई निर्धारित सीमाओं की ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जिसमें संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए के अंतर्गत शर्तें भी शामिल हैं। यदि अपील निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद दायर की जाती है, तो उसके साथ एक आवेदन पत्र भी संलग्न किया जाएगा, जिसमें शपथ-पत्र के साथ वे तथ्य बताए जाएंगे, जिन पर अपीलकर्ता निर्भर है, ताकि न्यायालय को यह संतुष्टि हो सके कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे। इसलिए, यदि अपील सीमा अवधि के बाद दायर की गई है, तो प्रतिवादी को अनिवार्य रूप से नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। अब प्रतिवादी को नोटिस जारी करना प्रतिवादी को सीमा अवधि पर प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देने के लिए है क्योंकि उसे एक निहित अधिकार प्राप्त होता है। यह महज औपचारिकता नहीं है और संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए में केवल यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यदि सीमा अवधि की समाप्ति के कारण प्रतिवादियों को कोई अधिकार प्राप्त हो गया है, तो इस मामले में प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में अपील स्वीकार करने के लिए कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जो संहिता के आदेश 41 नियम 3 ए के प्रावधान में अभिव्यक्त होता है। केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रतिवादी को प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रावधान निरर्थक होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य *एम.पी. एवं अन्य बनाम प्रदीप कुमार एवं अन्य के मामले में (2000) 7 एससीसी 372* में कहा कि संहिता के आदेश 41 के नियम 3 ए को लागू करने का उद्देश्य दोहरा है। पहला यह है कि अपीलकर्ता को स्वयं सूचित किया जाए कि अपील की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और जब तक कि देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने वाला आवेदन उसके साथ न हो, तब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा यह है कि प्रतिवादी को यह संदेश दिया जाए कि उसके लिए अपील ज्ञापन में उठाए गए आधारों को पूरा करने के लिए तैयार रहना आवश्यक हो सकता है क्योंकि न्यायालय को देरी की माफी के आवेदन को एक शर्त के रूप में देखना है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह विलंब की माफी के लिए आवेदन पर पहले विचार करे क्योंकि यह अपील की सुनवाई के लिए एक पूर्व शर्त है।

9. अब तक की गई चर्चा के आलोक में, मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील के अंतिम निर्णय तक सीमा अवधि के मुद्दे को लंबित रखते हुए अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इस आधार पर विवादित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है।

10. मैं सीमा याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहता, यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस पर विस्तार से बहस की गई है, लेकिन पहले से दायर शीर्षक अपील को खारिज करना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह मामले की जड़ तक जाता है और वर्तमान अपील की स्थिरता पर एक मुद्दा उठाता है। **सूरजदेव नारायण सिंह एवं अन्य** (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत प्राधिकारी ने स्पष्ट रूप से माना है कि पहले दायर अपील के चूक के कारण खारिज होने पर नई अपील पर विचार करने से रोकने के लिए कानून में कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि बाद की अपील अन्यथा क्रम में थी और सीमा अवधि के भीतर दायर की गई थी। इसलिए इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि यदि पिछली अपील को डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है तो दूसरी अपील पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी अपील पर विचार करने के लिए, बाद की अपील को क्रम में होना चाहिए और सीमा अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। चूंकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को पहले से संस्थित अपील के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, इसलिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह इस बिंदु पर कोई निष्कर्ष दर्ज करे और उसके समक्ष बाद की अपील की स्थिरता पर विचार करे।

11. तथ्यों और केस कानूनों की चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि विद्वान जिला न्यायाधीश, भागलपुर द्वारा शीर्षक अपील संख्या 96/2017 में पारित दिनांक 06.09.2018 का विवादित आदेश संधारणीय नहीं है, अतः इसे अपास्त किया जाता है।

12. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले में आगे कार्यवाही करने से पहले अपील की सीमा अवधि और स्वीकार्यता के मुद्दे पर निर्णय ले।

13. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान सिविल विविध याचिका स्वीकार की जाती है।

(अरूण कुमार झा, न्यायाधीश)

बालमुकुन्द/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।